

(TO BE PUBLISHED IN PART -IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(27)/LA-2015/10022/154-163

Dated the 31/December, 2015

NOTIFICATION

NO. F.14(27)/LA-2015/10022/154-163. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 18th December, 2015 and is hereby published for general information:-

**"THE DELHI APPROPRIATION (NO.3) ACT, 2015
(DELHI ACT 06 OF 2015)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 01st December, 2015)

[18th December, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2015-16

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|---|
| Short title. | 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 3) Act, 2015. |
| Issue of
Rs.259,96,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016. | 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees Two hundred fifty nine crore ninety six lakhs only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule. |
| Appropriation. | 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year. |

THE SCHEDULE
(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

SUMS NOT EXCEEDING				
Demand No.	Services and Purposes	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
2	General Administration	Revenue	100	100
4	Finance	Revenue	300	300
6	Education	Revenue	300	300
8	Social Welfare	Revenue	200	600
10	Development	Revenue	2496100	2496100
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2200	2200
14	Contingency Fund	Capital	100000	100000
	Total		2599200	2599600

C. Arvind
(C.Arvind)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवों तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(27)/एलए-2015/ (0702) 244/154-163

दिनांक 31 दिसंबर, 2015

अधिसूचना

सं० फा० 14(27)/एलए-2015/ (0702) 244/154-163 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

***दिल्ली विनियोग (संख्या 03) अधिनियम, 2015
(2015 का दिल्ली अधिनियम 06)**

(01 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[18 दिसंबर, 2015]

वर्ष 2015-16 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2015 है।

259,96,00,000/- रुपयों का वर्ष 2015-2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए दो सौ उनसठ करोड़ छियासठ लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2015-2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

रुपये हजारों में

निम्नलिखित से अनाधिक राशियां

अनुदान संख्यांक	सेवाएँ और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	100	00	100
4	वित्त	राजस्व	300	00	300
6	शिक्षा	राजस्व	300	00	300
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	200	400	600
10	विकास	राजस्व	2496100	00	2496100
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	2200	00	2200
14	आकस्मिकता निधि	पूंजी	100000	00	100000
	योग		2599200	400	2599600

C. S. Prasad

(सी. अरविंद)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)